भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1006

08 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात की खरीद

1006. श्री राजेश वर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेड इन इंडिया इस्पात की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस्पात क्षेत्र का विनिवेश करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी हाँ।

(ख): सरकार ने भारत में विनिर्मित इस्पात (मेड इन इंडिया स्टील) को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद में स्वदेशी विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी नीति) को प्राथमिकता देने के लिए 08 मई, 2017 को नीति बनाई है और बाद में 29 मई, 2019 और 31 दिसंबर, 2020 को इसे संशोधित किया है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ): जी हाँ। सरकार ने एनएमडीसी लिमिटेड के नगरनार इस्पात संयंत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की तीन इकाइयों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है।

****

अनुलग्नक

स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता देने हेतु नीति (डीएमआई एंड एसपी नीति)

सरकार ने सरकारी निविदाओं में स्वदेशी रूप से उत्पादित लोहा एवं इस्पात सामग्री को वरीयता देने के लिए 8 मई, 2017 को डीएमआईएंडएसपी नीति जारी की थी। इसके अलावा इस नीति को 29 मई, 2019 तथा 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित किया गया था। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

- यह नीति सरकारी खरीद में स्वदेशी रूप से विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआईएंडएसपी नीति) को वरीयता देती है।
- यह नीति लोहा एवं इस्पात के 49 विनिर्मित उत्पादों की एक सूची को शामिल करती है इन 49 लोहा एवं इस्पात उत्पादों पर 20-50% का न्यूनतम स्वदेशी मूल्यवर्धन विनिर्दिष्ट है। यह नीति लोहा एवं इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामानों को भी शामिल करती जिनके लिए न्यूनतम 50% का मूल्यवर्धन विनिर्दिष्ट है।
- सरकार के प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी एजेंसियां/इकाइयां इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीएमआईएंडएसपी नीति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। सभी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिनके लिए राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है और यदि वह परियोजना/योजना पूर्णतया/आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हो तो इस नीति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगी।
- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहां लोहा एवं इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक हो। यह नीति उन अन्य खरीदों (गैर-परियोजना) के लिए भी लागू होगी जहां किसी सरकारी संगठन के लिए लोहा एवं इस्पात उत्पादों के लिए वार्षिक खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक हो। हांलाकि, यह खरीद इकाइयों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा की इस नीति के प्रावधानों से बचने के लिए खरीद को विभाजित न कर दिया गया हो।
- यह नीति किसी ईपीसी संविदा को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों द्वारा लोहा एवं इस्पात उत्पादों की खरीद और/ अथवा सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग अथवा उनके पीएसयू की किन्हीं आवश्यकताओं और यथा प्रयोज्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिए लोहा एवं इस्पात उत्पादों के विनिर्माण हेतु पूंजीगत सामानों के लिए भी लागू होगी।
- लोहा और इस्पात उत्पादों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी। 200 करोड़ रुपये तक के अनुमोदित मूल्य वाले लोहे और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूँजीगत वस्तुओं की खरीद के संबंध में निविदाओं हेतु व्यय विभाग द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बगैर कोई ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी।
- इस नीति में ऐसी सभी खरीदों के लिए छूट के प्रावधान हैं, जहाँ देश में इस्पात के विशिष्ट ग्रेड का विनिर्माण नहीं किया जाता है या परियोजना की माँग के अनुसार मात्राओं को देशी स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता।

इस नीति में सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में घरेलू इस्पात उद्योग के संवर्धन और विकास को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

****